

झारखण्ड सरकार  
वित्त विभाग  
पेंशन एवं लेखा निदेशालय

SOC. & SOCA. & SOCION. S.O. (15)  
29/03/23  
R.G.

पत्रांक -जी.पी.एफ.-43-188/18.....

राँची, दिनांक -.....

प्रेषक,

मुकेश कुमार, भा.प्र.से.  
निदेशक ।

Account No. 494  
Date 29/03/23

सेवा में,

सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी,  
झारखण्ड ।

विषय - अंशदायी पेंशन योजना (सी.पी.एस./एन.पी.एस.) के अन्तर्गत प्रैन (PRAN) खाता में जमा राशि से आंशिक प्रत्याहरण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस निदेशालय के पत्रांक 129/भ.नि. दिनांक 30.01.2019 सह पटित पत्रांक 748 दिनांक 16.05.2019 तथा पत्रांक 316 दिनांक 18.02.2021 के द्वारा सी.पी.एस./एन.पी.एस. अंशधारकों को PRAN खाता से आंशिक निकासी (Partial withdrawal) अनुमान्य किया गया है । उक्त पत्र में यह प्रावधान अंकित है कि सी.आर.ए. के वेबसाईट [www.npscra.nsdl.co.in](http://www.npscra.nsdl.co.in) पर अंशधारकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते हुए इसकी हार्डकॉपी यथावांछित अनुलग्नकों सहित कोषागार/उप कोषागार के माध्यम से इस निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा ।

उपर्युक्त प्रावधान में आंशिक संशोधन करते हुए पी.एफ.आर.डी.ए. के परिपत्र पत्रांक 4 दिनांक 23.12.2022 के आलोक में झारखण्ड सरकार अन्तर्गत सभी सरकारी कर्मों, जिनका PRAN/NPS Account NSDL/CRA में Active है, को PFRDA/NSDL के नियमों के आलोक में अपने NPS Account से आंशिक प्रत्याहरण की प्रक्रिया पेंशन एवं लेखा निदेशालय, झारखण्ड, राँची (पूर्ववर्ती भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची) के माध्यम से किया जाना है । वैसे सभी कर्मों जो NPS से OPS में Shift हुए हैं, उनके जमा राशि से आंशिक प्रत्याहरण संबंधी आवेदन भी विहित नियमों के अधीन पेंशन एवं लेखा निदेशालय, झारखण्ड, राँची के माध्यम से ही Process किया जाएगा ।

विश्वासभाजन

ह०/-  
(मुकेश कुमार)  
निदेशक,  
पेंशन एवं लेखा निदेशालय ।

ज्ञापांक -जी.पी.एफ.-43-188/18... 856/पेंशन एवं लेखा राँची,दिनांक -12.09.23

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय / मुख्यमंत्री सचिवालय / महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय / सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त, झारखण्ड राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी डी.डी.ओ. तथा एन.पी.एस. अंशधारकों को इस संबंध में अवगत कराने की कृपा की जाय ।

  
निदेशक,

पेंशन एवं लेखा निदेशालय ।

97